बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

अवधारणा लेख

"जब मेरी शादी की गई तब मेरी आयु मात्र 15 वर्ष थी और मैं कक्षा 10 में पढ़ रही थी। एक वर्ष के भीतर ही मैं मां बन गई और मुझ पर मातृत्व की जिम्मेदारी आ गई। जल्दी गर्भधारण के कारण मेरे सामने न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आईं बल्कि मुझे घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ा। मैं अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सकूं, इसका साहस जुटाने के लिए मुझे कई दशक लग गए। आज मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं अपनी बेटियों या अपने आसपास के किसी भी बच्चे को बाल विवाह के अत्याचारों का सामना नहीं करने दूंगी।"

- रुचि (बदला हुआ नाम), 35, हरियाणा, एक गैर सरकारी संगठन के साथ सलाहकार

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान क्या है?

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश में बाल विवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित 300 जिलों में नागरिक समाज संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में संचालित हो रहा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक बाल विवाह का उन्मूलन करना है ताकि कम उम्र की 3 करोड़ लड़कियों को असमय शादी से बचाया जा सके। यह अभियान देश में बाल संरक्षण सुनिश्चित करने वाली मौजूदा सरकारी नीतियों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके संचालित किया जा रहा है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान क्यों?

बालविवाह बहुत प्राचीन कुरीति है जो हमारे समाज में अनंतकाल से विद्यमान है। यह बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है और उन्हें एक ही रात में बड़ा कर देती है। बच्चों के साथ होने वाले शोषण के रूपों में सबसे निकृष्ट रूप बाल विवाह का है। बाल विवाह की यह समस्या जाति, संस्कृति और धर्म की सीमाओं से परे है तथा इसका यौन शोषण और तस्करी से गहरा संबंध है।

भारत में 23.3 प्रतिशत महिलाओं (20-24 वर्ष की आयुवर्ग के बीच) का विवाह उनके 18 वर्ष के होने से पहले ही हो गया था ।1 करोड़ 20 लाख बच्चों की शादी (2019-2021, एनएफएचएस -5)उनकी विवाह की कानूनी उम्र से पहले ही हो गई थी, जिनमें से 5.2 मिलियन लड़कियां थीं। (2021 की जनगणना)। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध रिपोर्ट वर्ष 2021 के अनुसार भारत में रोजाना 3 बच्चों का बाल विवाह होता है।

बाल विवाह क्यों गलत है?

यह सामाजिक कुरीति अपने साथ अनेक आपदाएं एवं चुनौतियां लाती हैं, जैसे

- स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव
- शिक्षा पर दुष्प्रभाव
- बच्चों की सुरक्षा पर दुष्प्रभाव
- सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव

बाल विवाह के परिणाम अत्यंत गंभीर और दूरगामी होते हैं तथा साथ ही बाल विवाह का लड़कियों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह पीढी गत गरीबी के चक्र में फंसाता है और अंतत: देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

इसके कुछ दुष्परिणामों में सम्मिलित हैं:

लड़कियों की शिक्षा में बाधा आना एवं इसके कारण उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों में कमी आना	कम उम्र में गर्भधारण के कारण **माँ और शिशु की मृत्यु दर में वृद्धि होना**	शिशु और माँ दोनों में **कुपोषण होना**	**घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार**	**परिवार में निर्णय लेने की सीमित शक्तियाँ**	**मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं**

किशोरियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ यौन संबंधों को बलात्कार घोषित किया है।

इसके समाधान के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने लिए एक निर्णायक एवं समर्पित कदम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया।

अब तक यात्रा – बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

चरण 1 16 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ

इस अभियान का शुभारंभ वर्ष 2022 में हुआ, जिसने देश भर में महिलाओं के भीतर जागरूकता का संचार किया एवं उन्हें बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन का अंग बनाया। बाल विवाह मुक्त भारत की मांग को लेकर **76,000** महिला नेता सड़कों पर उतरीं।

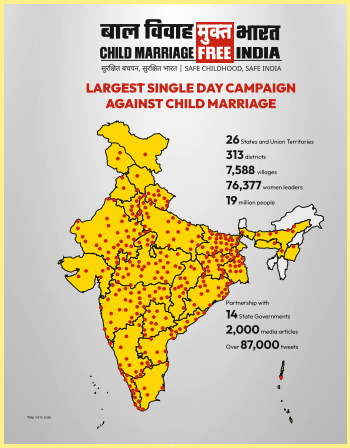

उसके बाद से.....

इस अभियान के लिए **288 जिलों** में **160 गैर सरकारी संगठन** एक साथ आए हैं, जो विशेष रूप से गांवों में बाल विवाह को रोकने और इसके उन्मूलन के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं, समुदायों, धार्मिक नेतृत्व, विद्यालय शिक्षकों/ प्रधानाचार्यों, पंचायती राज अधिकारियों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और बाल संरक्षण पदाधिकारियों के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि जिले से बाल विवाह के पूरी तरह से खत्म करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया जा सके।

इनके साझा प्रयासों से पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ली है, पिछले एक वर्ष में **1,700 से अधिक बाल विवाह** रोके गए हैं एवं साथ ही **171** से अधिक **एफआईआर** दर्ज की गई हैं।

असम में, राज्य सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध एक राज्यव्यापी कार्रवाई आरम्भ की, जिसके परिणामस्वरूप लगभग **4,000** मामले दर्ज किए गए और **3,000** व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(स्रोत: द प्रिंट 18 फरवरी, 2023)

चरण 2 16 अक्टूबर 2023 को अभियान

यह गठबंधन निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अभियान का दूसरा चरण आयोजित कर रहा है:

- बाल संरक्षण हितधारकों के साथ-साथ **महिला नेतृत्व को एक साथ लाना**, संवेदनशील एवं सशक्त बनाना ताकि एक साथ आगे बढ़ा जा सके और बाल विवाह मुक्त राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकें।
- **बाल विवाह की रोकथाम** में पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारियों और मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी करवाकर **समय से कार्रवाई करना।**

लक्ष्य

बाल-विवाह मुक्त भारत का निर्माण करना

उद्देश्य

इस अभियान का उद्देश्य उन 288 जिलों में लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए बाल विवाह का उन्मूलन करना है जहां बाल विवाह की दर 23.3% से अधिक है (भारत का राष्ट्रीय औसत - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 2019-21)। इसके साथ ही, सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी में आसपास के जिलों में कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करना है। बाल विवाह के प्रति हमारा दृष्टिकोण अभी तक मात्र एक सामाजिक कुरीति के रूप में रहा है, परंतु यह एक आपराधिक कृत्य है एवं जब तक इसे अपराध के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता तब तक बच्चे विशेषकर लड़कियां सुरक्षित नहीं हो सकतीं।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य है

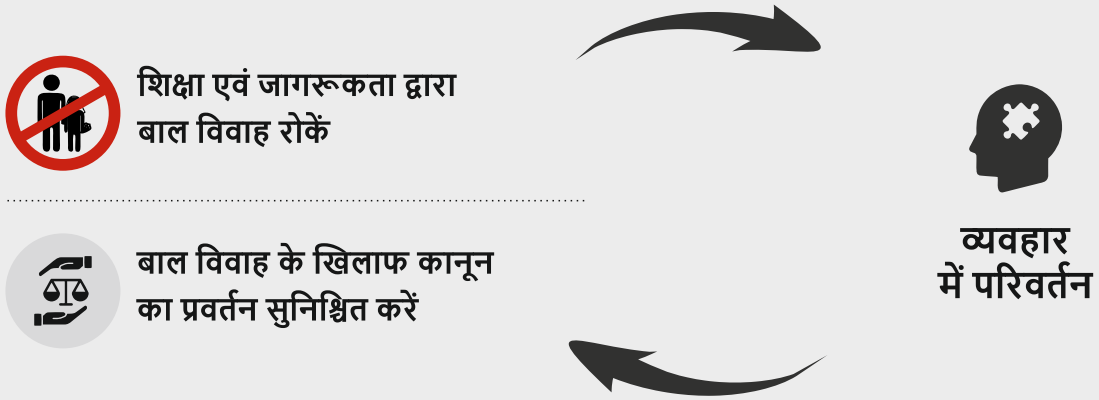

अभियान के ध्येय

- वर्ष 2025 तक बाल विवाह को 23.3% (एनएफएचएस 5) से घटाकर 10% करना और वर्ष 2030 तक भारत को बाल-विवाह मुक्त बनाना।
- वर्ष 2025 तक भारत भर के 300 जिलों के 50,000 गांवों को बाल विवाह से मुक्त बनाना
- बाल विवाह उन्मूलन के लिए पूरे भारत में नागरिकों से 5 करोड़ शपथ सुनिश्चित करना
- बाल विवाह उन्मूलन के लिए समुदाय और ग्राम-स्तरीय संस्थानों को मजबूत करना
- महिलाओं को एक नेतृत्व के रूप में सशक्त करना एवं उन्हें अपने गांवों में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाना
- धार्मिक नेताओं, स्थानीय समुदायों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों से अपील करना कि वे अपने क्षेत्रों में बाल विवाह का विरोध करें एवं बाल विवाह कराने से इंकार करें।
- बाल विवाह से संबंधित शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों और बाल संरक्षण संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करना।

बाल विवाह से कैसे निपटा जाए?

बाल विवाह की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी विभाग, संस्थान, वैधानिक निकाय और नागरिक समाज संगठन एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण के साथ काम करें। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए बाल विवाह के खात्मे की प्रक्रिया को तेज करना है। यह अभियान 'पिकेट' रणनीति पर आधारित है क्योंकि इसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पूरे भारत में बाल विवाह से निपटने के लिए 'PICKET' रणनीति

- **P** (Policy, Prevention & Protection) बाल विवाह की **रोकथाम** और इससे **बचाव** के लिए **नीतिगत** हस्तक्षेप;
- **I** (Investment & Institution) बाल विवाह की रोकथाम के लिए क्षमता और **संस्थानों** में **निवेश**;
- **C** (Convergence & Community) स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तथा **सामुदायिक भागीदारी** के लिए सेवाओं का प्रयोग
- **K** (Knowledege) **ज्ञान**-संचालित निर्णय लेना;
- **E** (Education) 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए एक अधिकार के रूप में **शिक्षा**, और कौशल एवं आजीविका प्रशिक्षण;
- **T** (Technology) परिवर्तन के लिए **तकनीक** उपयोग

अभियान की माँगें

- बारहवीं कक्षा तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कक्षा बारह तक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए समर्पित बजट का आवंटन।
- उपस्थित डाटा को वास्तविक समय में विश्लेषण योग्य बनाना और अनियमितताएं मिलने पर हस्तक्षेप।
- समाज के सभी वर्गों के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू करना एवं क्रियान्वित करना।

लक्षित लोग

- केंद्र, राज्य और जिला स्तर के सरकारी विभाग
- गांवों में महिला नेतृत्व
- महिला कल्याण एवं स्वयं सहायता समूह
- आँगनबाड़ी पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ता
- आशा कार्यकर्ता
- बाल यौन दुर्व्यवहार और बाल यौन शोषण पीड़िताएं
- शिक्षक/ शिक्षाविद
- गैर सरकारी संगठन/सीएसओ
- पंचायती राज सदस्य
- ग्राम सभाएं
- वार्ड सदस्य
- बाल संसद /बाल समूह/युवा समूह
- विद्यालय प्रबंधन समिति
- पैरा-लीगल स्वयंसेवक
- समुदाय के सदस्य
- बाल संरक्षण समितियां
- खंड विकास अधिकारी
- जिला बाल संरक्षण इकाइयां

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम दिवस
16 अक्टूबर

कार्रवाई के कदम:

5 करोड़ लोग और महिला नेताओं के साथ मोमबत्तियां/ दीये प्रज्ज्वलित करें, मशाल जुलूस निकालें और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से बाल विवाह उन्मूलन हेतु शपथ लें।